कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 28/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री जयसिंह सिलण पुत्र श्री मामचन्द जाति धाणक निवासी भोजासर
तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

---अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा।

--प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांकः--04.07.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील के अनुसार अपीलार्थी द्वारा यह अपील संयुक्त रूप से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी–भादरा, लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति–भादरा व लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत–भोजासर के संबंध में की गई है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी–भादरा से बिन्दु संख्या 1 से 7 तक ग्राम पंचायत–भोजासर से सम्बन्धित सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी को वांछित सूचना नहीं मिलने पर ग्राम पंचायत–भोजासर से सूचना निःशुल्क दिलाये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2019 के अनुसार रेस्पो. नं. 1 ता 3 ने किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। रेस्पो. नं. 1 ता 3 से सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अपील का अवलोकन करने से अपीलार्थी की यह अपील संयुक्त रूप से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी–भादरा, लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति–भादरा व लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत–भोजासर के संबंध में होना पाई गई। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा की हद तक दर्ज की गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा से अपील में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। अपीलार्थी की अपील के साथ संलग्न लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी–भादरा के पत्र क्रमांक 795 दिनाक 25.04.2019 की प्रति का अवलोकन करने से उनके द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति–भादरा को अंतरित करते हुए जिसकी सूचना अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना पाया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति–भादरा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर सक्षम लोक सूचना अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील करने के लिए अपीलार्थी स्वतंत्र है। अपीलार्थी को इस अपील में कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की यह अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ